सप्तदश बिहार विधान सभा

अष्टम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–18 शुक्रवार, दिनांक–31 मार्च, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:32 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही आसन की अनुमति से माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपनी भिन्न–भिन्न मांगों को रखा गया। इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये।

तदुपरान्त माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम एवं श्री महबूब आलम ने भी अपनी–अपनी मांगों को रखा।

आसन द्वारा कहा गया कि राज्य–हित में जिन प्रश्नों को आप लाये हैं, सरकार उसका उत्तर देने के लिए तैयार है, इसलिए प्रश्नकाल को बाधित न करें एवं उचित समय पर ही अपनी बातों को रखें। साथ ही माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया जिसके उपरान्त सदन में शान्ति कायम हुई।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 02 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 08 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(iii) 06 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(iv) 99 तारांकित प्रश्न अनागत।

[2] अन्य चर्चायें :–

आसन की अनुमति से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा विद्युत नियामक आयोग की अनुशंसा के संबंध में अन्य राज्यों की तुलनात्मक स्थिति को स्पष्ट करते हुए सरकार का पक्ष रखा गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि तत्काल बिजली दर में किसी भी वृद्धि का प्रस्ताव सरकार के अधीन नहीं है।

इस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "वन नेशन वन टैरिफ" पालिसी तथा विभिन्न राज्यों में बिजली क्रय की दर का उल्लेख किया गया है। साथ ही आम उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो इसलिए कैबिनेट द्वारा बिजली अनुदान की राशि को 8895 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 13114 करोड़ करने की घोषणा की गयी।

[3] सभा के समक्ष प्रतिवेदनों का रखा जाना :–

(i) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा गया।

(ii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021–22 के प्रतिवेदन "वित्त लेखे (खण्ड–1 एवं 2)" तथा "विनियोग लेखे" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"

यह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[4] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी एवं श्री केदार प्रसाद गुप्ता द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

परन्तु आसन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ने अपने कार्यस्थगन की सूचना को पढ़ा।

[5] शून्यकाल :–

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i) श्री मनोज मंजिल
(ii) श्री महबूब आलम
(iii) श्रीमती मंजु अग्रवाल
(iv) श्री राम चन्द्र प्रसाद
(v) श्री ललन कुमार
(vi) श्री इजहारूल हुसैन
(vii) श्रीमती गायत्री देवी
(viii) श्री गोपाल रविदास
(ix) श्री महा नंद सिंह
(x) श्री अरूण सिंह
(xi) श्री अनिल कुमार

आसन द्वारा शेष शून्यकाल की सूचनाओं को शून्यकाल समिति के सुपुर्द किया गया।

[6] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

आसन द्वारा आज के लिए सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अगली तिथि में लिये जाने की घोषणा की गयी।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 07:23 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[7] गैर सरकारी संकल्प :–

(i) 08 गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत।
(ii) 01 गैर सरकारी संकल्प अस्वीकृत।
(iii) 113 गैर सरकारी संकल्प वापस।
(iv) 30 गैर सरकारी संकल्प अपृष्ठ।

गैर सरकारी संकल्प संख्या–66 के निस्तारण के पश्चात आसन द्वारा सदन की सहमति से सदन की अवधि निर्धारित कार्यवाही की समाप्ति तक विस्तारित करने की घोषणा की गयी।

[8] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 57 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक–03 अप्रैल, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना

दिनांक–31.03.2023

पवन कुमार पाण्डेय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।